

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट नंबर-2,सोनभद्र ।

उपस्थित:-अजय कुमार श्रीवास्तव- I, (एच.जे.एस.)

सत्र परीक्षण संख्या-54ए/2015

राज्य

बनाम

आनंद कुमार उर्फ टूरन स्वीपर ।

अंतर्गत धारा-457,380,411 भारतीय दंड संहिता

थाना-ओबरा, जनपद-सोनभद्र ।

-:निर्णय:-

1. अभियुक्त आनंद कुमार उर्फ टूरन स्वीपर पुत्र महेन्द्र, निवासी-वैल बाजार, थाना-नगर उटारी, जनपद-गढ़वा, झारखण्ड के विरुद्ध थाना-ओबरा, जनपद-सोनभद्र द्वारा आरोप पत्र प्रदर्श क-2 अपराध संख्या-810/2014 अंतर्गत धारा-457,380,411 भारतीय दंड संहिता में विचारण हेतु प्रेषित किया गया है ।
2. सुसंगत अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक-20.09.2014 को वादी विजय कुमार शर्मा ने इस आशय की तहरीर थाना-ओबरा में दी कि वह आवश्यक कार्य से अपने गृह जनपद कानपुर गया था । जब वापस आया तो उसके आवास के पीछे का दरवाजा तोड़कर उसके घर से एक एल.सी.डी. टी.वी. व सूटकेस में रखा रु.1,000/- गायब था व घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था ।
3. वादी की उक्त आशय की तहरीर पर थाना-ओबरा, जनपद-सोनभद्र में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध संख्या-810/2014 अंतर्गत धारा-457,380 भारतीय दंड संहिता में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-3 दर्ज की गई । विवेचक द्वारा प्रस्तुत मामले की विवेचना की गई और विवेचना के दौरान दिनांक-20.09.2014 को 14.15 बजे बहद स्थान-डकहिया पहाड़ी,सेक्टर-6 कस्वा व थाना-ओबरा, जनपद-सोनभद्र में पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से उक्त चोरी का सामान व नकदी बरामद की जिसके आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा-411 भारतीय दंड संहिता के अपराध की बृद्धि की गई । विवेचक ने विवेचना की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त आनंद कुमार उर्फ टूरन स्वीपर के विरुद्ध आरोप पत्र प्रदर्श क-2 अंतर्गत धारा-457,380,411 भारतीय दंड संहिता में विचारण हेतु न्यायालय प्रेषित किया गया है ।

4. अभियुक्त आनंद कुमार उर्फ टूरन स्वीपर के आवेदन पत्र तथा इस विचाराधीन बंदी के त्वरित विचारण के वैधानिक अधिकार को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त की पत्रावली का त्वरित रूप से विचारण पूर्ण किया गया ।
5. अभियुक्त आनंद कुमार उर्फ टूरन स्वीपर के विरुद्ध आरोप अंतर्गत धारा-457,380,411 भारतीय दंड संहिता सृजित किया गया । अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया तथा परीक्षण की मांग की ।
6. अभियोजन कथानक को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने के क्रम में अभियोजन पक्ष की ओर से पी.डब्लू.-1 कां. पंकज बाजपेई को परीक्षित कराया गया जिन्होंने अभियोजन प्रपत्रों में नक्शा-नजरी को प्रदर्श क-1 के रूप में, आरोप पत्र को प्रदर्श क-2 के रूप में, चिक एफ.आई.आर. को प्रदर्श क-3 के रूप में, फर्द बरामदगी को प्रदर्श क-4 के रूप में सिद्ध किया है ।
7. अपने बयान अंतर्गत धारा-313 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अभियुक्त ने अभियोजन कथानक को पूर्णतः सही होना बताया है । अभियोजन प्रपत्रों की सत्यता को विवादित नहीं किया है तथा अपने सहयोगियों के प्रभाव में आरोपित अपराध कारित करना कहा है ।
8. अभियुक्त आनंद कुमार उर्फ टूरन स्वीपर के पक्ष से बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है ।
9. मैंने राज्य के पक्ष से अभियोजन अधिकारी तथा बचाव पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता के तर्कों को सविस्तार सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया ।
10. पी.डब्लू.-1 कां.पंकज बाजपेई ने नक्शा-नजरी को प्रदर्श क-1 के रूप में, आरोप पत्र को प्रदर्श क-2 के रूप में, चिक एफ.आई.आर. को प्रदर्श क-3 के रूप में, फर्द बरामदगी को प्रदर्श क-4 के रूप में सिद्ध किया है । नक्शा-नजरी व आरोप पत्र एस.आई. मो.यूनुस अली के लेख व हस्ताक्षर में होना, चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट कां.मु. पंचम सिंह यादव

के लेख व हस्ताक्षर में होना बताते हुए इस साक्षी ने उक्त प्रपत्रों को सिद्ध किया है। उल्लेखनीय है कि अपने बयान अंतर्गत धारा-313 दंड प्रक्रिया संहिता में अभियुक्त ने प्रश्नगत सत्र परीक्षण संख्या-54ए/15 में नक्शा-नजरी प्रदर्श क-1, आरोप पत्र प्रदर्श क-2, चिक एफ.आई.आर. प्रदर्श क-3, फर्द बरामदगी प्रदर्श क-4 की सत्यता को भी विवादित नहीं किया है। उन्होंने प्रश्नगत अपराध कारित किया जाना वस्तुतः स्वयं स्वीकार किया है। ऐसा अपराध उन्होंने अपने साथियों के प्रभाव में कारित करने का कथन किया है।

11. उपर्युक्त वर्णित विचार-विमर्श के आलोक में यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त आनंद कुमार उर्फ टूरन स्वीपर के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा-457,380,411 भारतीय दंड संहिता युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में सफल रहे हैं। अतः आवेदक/अभियुक्त आनंद कुमार उर्फ टूरन स्वीपर धारा-457,380,411 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्ध करार दिये जाने योग्य है एवं तदनुसार उन्हें दोषसिद्ध करार दिया जाता है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में उपस्थित है। अतः पत्रावली अपराह 3.00 बजे दंड के विन्दु पर सुने जाने हेतु पेश हो।

दिनांक-04.09.2015

(अजय कुमार श्रीवास्तव- I)

अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं.-2,
सोनभद्र।

12. न्यायिक अभिरक्षा में उपस्थित अभियुक्त आनंद कुमार उर्फ टूरन स्वीपर एवं उनके सुयोग्य अधिवक्ता तथा राज्य के पक्ष से अभियोजन अधिकारी को दंड के विन्दु पर सविस्तार सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

13. आवेदक/अभियुक्त पर आरोपित अपराध के प्रकृति के प्रकाश में अभियोजन पक्ष का तर्क है कि अभियुक्त आनंद कुमार उर्फ टूरन स्वीपर को धारा-457,380,411 भारतीय दंड संहिता के अधिकतम दंड से दंडित किया जाना उचित होगा। इसके विपरीत बचाव पक्ष के सुयोग्य

अधिवक्ता का यह तर्क है कि अभियुक्त गैर प्रांत के निवासी हैं जिनकी उम्र लगभग 20 वर्ष है जिनके आचरण में भविष्य में सुधार की पूर्ण संभावना है । अभियुक्त संपूर्ण विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा में ही रहे हैं। ऐसी दशा में अभियुक्त को न्यूनतम सजा से ही दंडित करने की प्रार्थना किया गया है ।

14. भारतीय दंड संहिता को निर्मित करने हेतु विधायिका की मंशा, आरोपित अपराध के समाज पर पड़ने वाले प्रभाव, अभियुक्त की आयु, उनके विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा में रहने की अवधि व भविष्य में सुधार की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त आनंद कुमार उर्फ टूरन स्वीपर को धारा-457 भारतीय दंड संहिता के अपराध हेतु 1 वर्ष के साधारण कारावास एवं रु.1,000/- अर्थदण्ड, धारा-380 भारतीय दंड संहिता के अपराध हेतु 1 वर्ष के साधारण कारावास एवं रु.1,000/- अर्थदण्ड तथा धारा-411 भारतीय दंड संहिता के अपराध हेतु एक वर्ष के साधारण कारावास से दंडित किया जाना न्यायोचित होगा जिससे न्याय के उद्देश्यों की भी सिद्धि होगी ।

—आदेश:—

अभियुक्त आनंद कुमार उर्फ टूरन स्वीपर को धारा-457 भारतीय दंड संहिता के अपराध हेतु एक वर्ष के साधारण कारावास एवं रु.1,000/-अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया जाता है । अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेंगे । उक्त अभियुक्त को धारा-380 भारतीय दंड संहिता के अपराध हेतु एक वर्ष के साधारण कारावास एवं रु.1,000/-अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया जाता है । अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेंगे। उक्त अभियुक्त को धारा-411 भारतीय दंड संहिता के अपराध हेतु एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा से दंडित किया जाता है । सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी तथा अभियुक्त द्वारा प्रश्नगत अपराध संख्या-810/14 में कारागार में बिताई गई अवधि उसकी सजा की अवधि में समायोजित

की जायेगी । तद्नुसार अभियुक्त का दोषसिद्धि वारंट तत्काल तैयार कर निष्पादन हेतु जिला कारागार प्रेषित किया जाये । माल मुकदमा अपील अवधि के पश्चात नियमानुसार निस्तारित किया जाये । अपील योजित होने की दशा में इसे माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार निस्तारित किया जाये। निर्णय की प्रतिलिपि अभियुक्त को तत्काल नियमानुसार निः शुल्क प्रदान की जाये ।

दिनांक—04.09.2015

(अजय कुमार श्रीवास्तव— I)
अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट नं.-2,
सोनभद्र ।

उक्त निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उद्घोषित किया गया ।

दिनांक—04.09.2015

(अजय कुमार श्रीवास्तव— I)
अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट नं.-2,
सोनभद्र ।